पाठ 4

नगरीय रहन-सहन एवं नगरपालिकाएँ

गर्मी की छुट्टी के बाद जब मीरा अपने गाँव से शहर जाने लगी तो उसका भाई गोकुल भी मीरा के साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गाँव में ही पढ़ता है। वह पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कभी इधर देखता था तो कभी उधर। उसने कहा- दीदी, नगर में इतनी भीड़ और बड़े-बड़े मकान देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है।

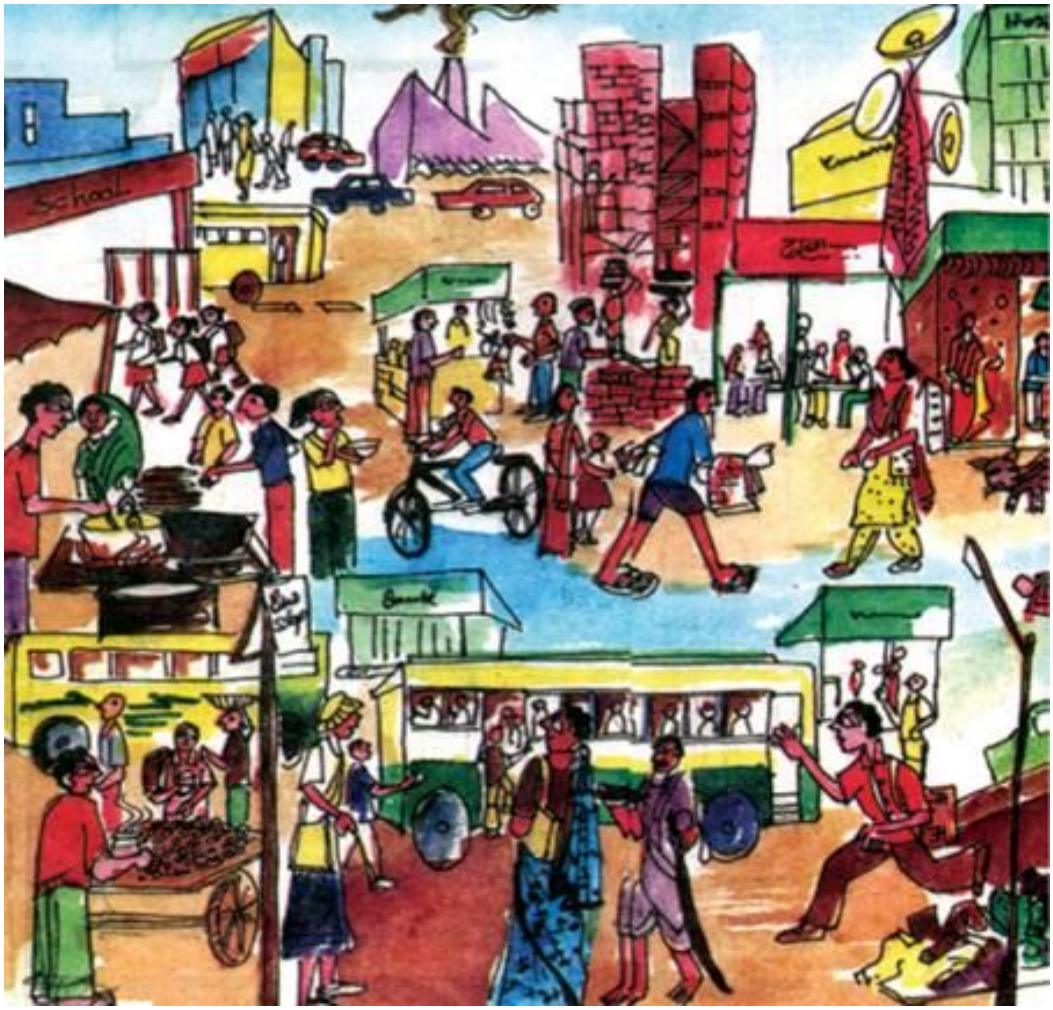

मीरा-अभी तुमने देखा ही क्या है ? यहाँ कई कारखाने हैं और बहुत प्रकार के उद्योग-धन्धे हैं। कुछ लोग तो गाँव से भी यहाँ कार्य करने आते हैं। वे मजदूरी करके मकान एवं सड़कों आदि को बनाने का काम करते हैं।

गोकुल-दीदी, यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल है-साइकिल, स्कूटर, कारों की भरमार है। सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। सड़क के किनारे उस नल पर बहुत से आदमी और औरतें अपना बर्तन लिए खड़े हैं। जब इतनी सारी समस्याएँ हैं तो उन्हें दूर करने का काम कौन करता है ?

मीरा-यह काम सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। वे इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सोचते हैं। जिस प्रकार गाँवों की भलाई के लिये ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें होती हैं उसी प्रकार शहरों की भलाई

के कार्यों के लिए नगरपालिकाएँ गठित की जाती हैं। बहुत छोटे नगरों में नगर पंचायत उससे कुछ बड़े नगरों में नगरपालिका परिषद् तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में हर वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसी प्रकार नगर भी कई वार्ड में बाँट दिए जाते हैं तथा हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है।

ऐसे बनी खैरागढ़ नगर पंचायत

यहाँ हम खैरागढ़ की नगर पंचायत के गठन और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पहले खैरागढ़ एक गाँव ही था और यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी। पर अब यह एक नगर पंचायत बन गई है। जिस समय खैरागढ़ गाँव को नगर पंचायत बनाया गया उसकी आबादी 10 हजार थी। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5 हजार से एक लाख के बीच होती है वहाँ नगर पंचायत बन सकती है इसलिये खैरागढ़ को नगर पंचायत का दर्जा मिला।

यह समझ लीजिए कि नगर पंचायत शहर की पंचायत जैसी ही है। चूँकि शहर या कस्बे में गाँव से बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, इस कारण नगर पंचायत के सदस्य भी अधिक होते हैं। इन सदस्यों की संख्या और अधिकारों में अन्तर होता है।

- पाँच हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक होती है।
- एक लाख से पाँच लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगरपालिका परिषद् बनती है। नगरपालिका परिषद् में सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है।
- 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है।

लोगों की समस्याएँ

रिक्शे से घर जाते समय गोकुल बड़ी उत्सुकता से आस-पास देख रहा था। शहर में डामर की पक्की सड़कें थीं, गाँव की धूल भरी सड़कों से काफी अलग। लेकिन सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फँस गया। "धीरे चलना भैया" गोकुल ने रिक्शे

वाले से कहा, "तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत खराब हैं। कई जगह मोहल्ले के लोग, नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। उन्हें देखकर गोकुल ने पूछा-नगरपालिका पानी की व्यवस्था को सुधारती क्यों नहीं ?

रिक्शेवाला-"क्या करें भैया ? पहले जो नगर पालिका परिषद् के सदस्य थे, उन्होंने कई काम किए- एक पार्क बनवाया, कई पक्की दुकानें भी बनवाई, पर न तो ये सड़कें ठीक करवाई, न पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा होता है क्योंकि स्ट्रीट-लाइटों को खराब होने पर बदला नहीं जाता है। पार्क की चहारदीवारी एक तरफ टूट गई है जिसकी मरम्मत काफी दिनों से नहीं हुई है। कूड़ा-कचरा इधर-उधर फैला रहता है। समझ में नहीं आता कि किससे शिकायत करें ?

क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले एवं गली में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है ? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार सफाई की जाती है एवं कूड़ा उठाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चर्चा कीजिए-

समस्याएँ किससे कहें ? कैसे सुलझाएँ ?

मीरा के मोहल्ले में गंगाताई रहती थीं। गंगाताई के मोहल्ले तथा आसपास के कई मोहल्ले के लोग मिलकर नगरपालिका अध्यक्ष के पास गए। गंगाताई ने कहा, "हम रोज-रोज पानी की किल्लत से ऊब गए हैं। हमें पता है कि यहाँ के पम्प बदलवाने की जरूरत है। हम सरकार को इसके लिए अर्जी देने आए हैं। इस अर्जी पर 500 लोगों के हस्ताक्षर हैं। आप जब सरकार को अनुदान के लिए लिखें तो हमारी अर्जी भी साथ भेज दें। कम से कम उन्हें पता तो चले कि यहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। अगर अनुदान की अर्जी की एक प्रति हमें मिल सकती है तो हम जिला अधिकारी (डी0एम) और विधायक से भी मिलने की कोशिश करेंगे।

कुछ जगहों की नगरपालिका परिषद् या नगर निगम के विरुद्ध इस शहर के लोग शिकायत करते हैं। शिकायत काम न करने के बारे में हो सकती है या पैसों के दुरुपयोग के बारे में। राज्य की सरकार इन शिकायतों के बारे में जाँच करती है। यदि जाँच में शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद् या नगर निगम को भंग कर सकती है।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के नियम

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है।

- नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है।

- शहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् व नगर निगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं।

- शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् या नगर निगम का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है।

- प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं।

- नगरपालिका परिषद् का एक अध्यक्ष होता है। वह उसका सदस्य होता है।वह जनता द्वारा चुना जाता है। इसके कुछ पद आरक्षित होते हैं।

- नगर निगम का भी एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है।

- हर नगरपालिका परिषद् का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे ही नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कार्यों की देख-रेख करते हैं और लेखा-जोखा रखते हैं।

- यदि किसी वजह से नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक उसका काम सँभालता है।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के मुख्य कार्य

क्षेत्र पंचायत की तरह नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम भी अपनी समितियाँ बनाते हैं। ये समितियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं जैसे- पानी की व्यवस्था समिति, सफाई- व्यवस्था समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेम्बर (सदस्य) इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियाँ ही इन संस्थाओं के कार्यों के बारे में निर्णय लेती हैं।

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं-

- सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी (लाइट) की व्यवस्था करना।
- शहर की साफ-सफाई करवाना, कचरा उठवाना।
- बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना।
- कांजी हाउस, आवारा मवेशियों की देख-रेख का प्रबंध करना।
- शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा-जोखा रखना।
- जब शहर में कोई भी बीमारी फैलती है, तो उसे फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम कराना।

□पुस्तकालय, पाठशाला, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना।

चर्चा कीजिए कि नगरों में पार्क होना क्यों आवश्यक है ?

नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् और नगर निगम की आय के साधन

1.शहर में जिनके निज़ी मकान या ज़मीन हैं, उन्हें मकान या ज़मीन पर कर (टैक्स) देना पड़ता है। यह कर उस शहर की नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम इकट्ठा करती है।

2.पानी, सड़कों की बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है।

3.शहर में जो दुकान लगाता है, उसे अपनी दुकानदारी के लिये टैक्स भरना पड़ता है।

4.शहर में चलने वाली सवारी गाड़ियाँ, जिनमें लोग पैसे देकर सफर करते हैं, जैसे- बस, टैम्पो, जीप उनसे यात्री-कर वसूल किया जाता है। यह कर उस शहर से जाने पर या उस शहर तक सफर करने वाले हर यात्री से लिया जाता है।

5.ये संस्थाएँ इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती हैं, जैसे- फिल्म, प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर।

6.इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान भी मिलता है।

. शब्दावली

वार्ड -नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् अथवा नगर निगम के सदस्यों के चुनाव के लिए नगर क्षेत्र को खण्डों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इस खण्ड या भाग को वार्ड कहते हैं।

अभ्यास

1.आपने नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद् के बारे में पढ़ा है। दोनों की तुलना करते हुए तालिका को पूरा कीजिए:-

नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् के नियम

नगर पंचायत नगर पालिका परिषद्

1. पाँच साल के लिए बनाई जाती है। .....

2. उस शहर में रहने वाले व्यक्ति वोट दे सकते हैं। .....

3. अट्ठारह या उससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति वोट दे सकता है।
.....

4. हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। .....

5. अध्यक्ष प्रमुख होता है। .....

6. अध्यक्ष नगर की जनता द्वारा चुना जाता है। .....

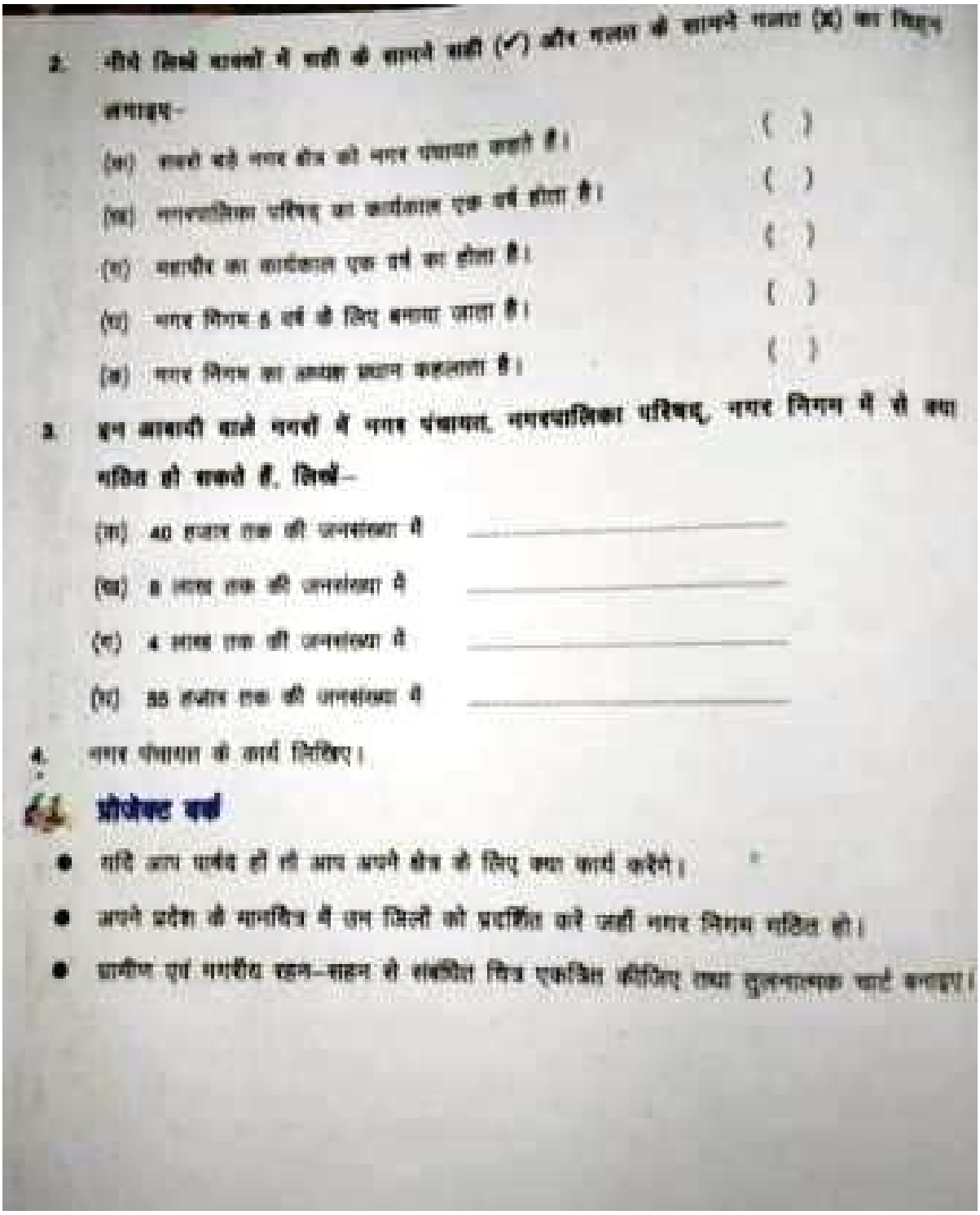

2. नीचे लिखे कथनों में सही के सामने सही (✓) और गलत के सामने गलत (✗) का चिह्न लगाइए–

(अ) सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। ( )

(ब) नगरपालिका परिषद् का कार्यकाल एक वर्ष होता है। ( )

(स) महापौर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। ( )

(द) नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ( )

(ह) नगर निगम का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है। ( )

3. इन आबादी वाले नगरों में नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम में से क्या गठित हो सकते हैं, लिखें–

(क) 40 हजार तक की जनसंख्या में _____

(ख) 8 लाख तक की जनसंख्या में _____

(ग) 4 लाख तक की जनसंख्या में _____

(घ) 50 हजार तक की जनसंख्या में _____

4. नगर पंचायत के कार्य लिखिए।

प्रोजेक्ट कार्य

- यदि आप पार्षद हों तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे।
- अपने प्रदेश के मानचित्र में उन जिलों को प्रदर्शित करें जहाँ नगर निगम गठित हो।
- प्राचीन एवं नगरीय रहन-सहन से संबंधित चित्र एकत्रित कीजिए तथा तुलनात्मक चार्ट बनाइए।